(11)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

76AA 545790

महस्टाम्प 10/- नकल नम्बर 1647 वर्ष 2007 के साथ संलग्न है।

पदा— सुमा— स.र. II

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

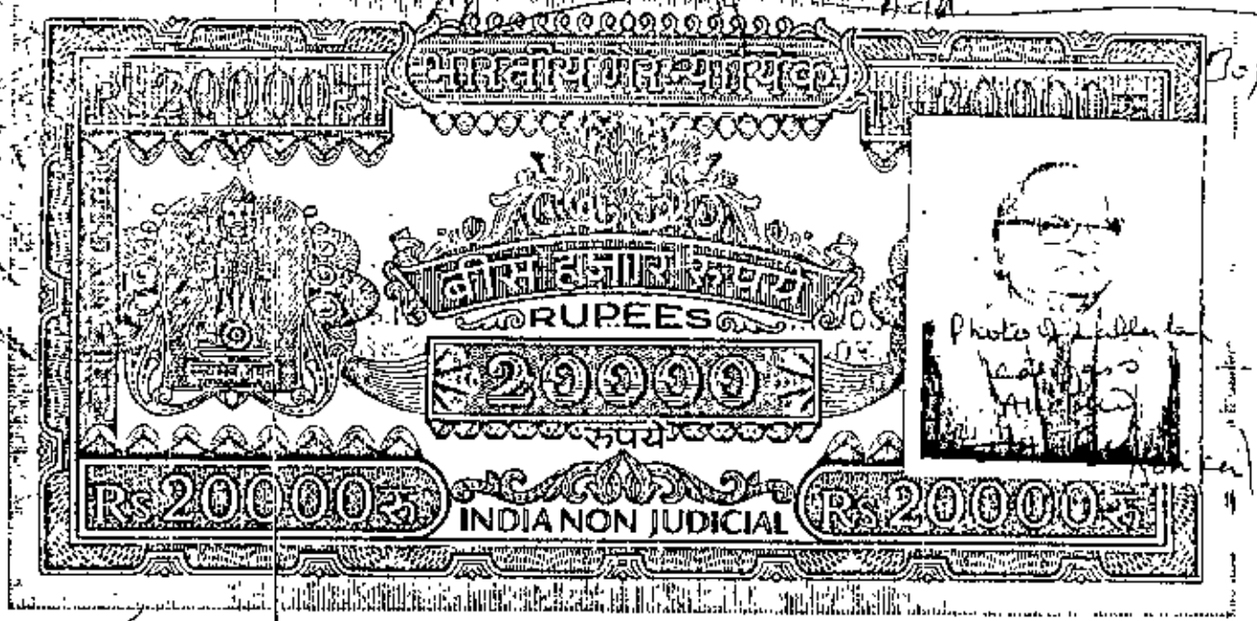

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

00CC 268670

॥श्री गणेशाय नमः॥

मै, कि सुमंगल सहकारी आवास समिति लि० रजिस्ट्रेशन नं० 1247 सन् 1989 कार्यालय 112/206 बी स्वरूप नगर, शहर कानपुर द्वारा सचिव, लल्लू लाल कटियार पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद कटियार निवासी 112/206 बी स्वरूप नगर, शहर कानपुर का हूँ।

चूंकि होकि मुकिर समिति आराजी भूमिधरी नम्बरी 1091 रकबई 2बीघा 10 बिस्वा स्थित मौजा बैरी अकबरपुर पछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के 2/3 भाग यानी रकबा 1बीघा 14 बिस्वा(1-14-0)... का तनहा मालिक काबिज व दखील कार है। मुकिर ने उपरोक्त आराजी को दिनांक 31-7-95 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बाबूराम, रामकुमार पुत्रगण टीका निवासीगण रूपपुर, मौजा बैरी अकबरपुर से खरीद किया था, जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक संख्या-1 खण्ड 629 के पृष्ठ 335/354 पर क्रम संख्या 1980 पर दिनांक 10-10-95 को फोटो स्टेट प्रति सब रजिस्ट्रार कार्यालय कानपुर में पंजीकृत है। बाद बयनामा मुकिर मालिक काबिज दखील चला आरहा है।

क्रमशः पृष्ठ-2

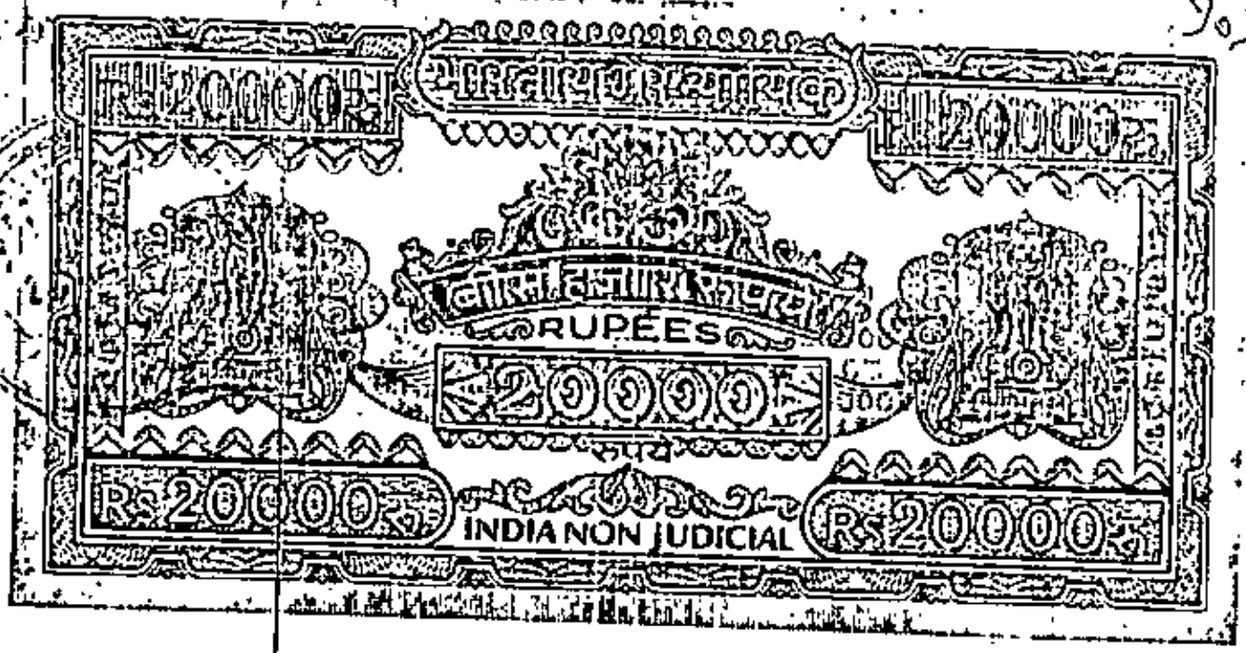

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL RUPEES 20000 रुपये Rs 20000

00CC 266669

मुकिर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है। उक्त जायदाद आज दिन तक जुमला बार किफालत से बरी पाक व साफ है। कर्जा, रहन, बय, हिबा, मुस्तागरक, अमानत आदि नहीं है, तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा जरिये नीलाम नहीं है तथा किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा विक्रय आदि करने से भी रोका नहीं गया है, तथा किसी मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक अधिग्रहीत नहीं की गयी है, और न ही मिन मुकिर को अधिग्रहीत करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुआ है। गरजे कि उक्त जायदाद आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है, तथा मुकिर को उक्त जायदाद को बजरिये बयनामा हस्तान्तरण सम्बन्धी कुल अधिकार मालिकाना हासिल है। चूँकि मुकिर समिति की उपरोक्त आराजी में एप्रोच रोड न मिल पाने के कारण मिन मुकिर अपने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति हेतु प्लाट काटने में असमर्थ है, लिहाजा मिनमुकिर ने यह उचित समझा कि उक्त जायदाद को विक्रय कर कोई दूसरी भूमि को खरीद लेवे, ताकि मुकिर समिति के सदस्यों की रिहायश हेतु उचित व्यवस्था हो सके। लिहाजा मुकिर ने उक्त

क्रमशः पृष्ठ-3

305

500Rs.

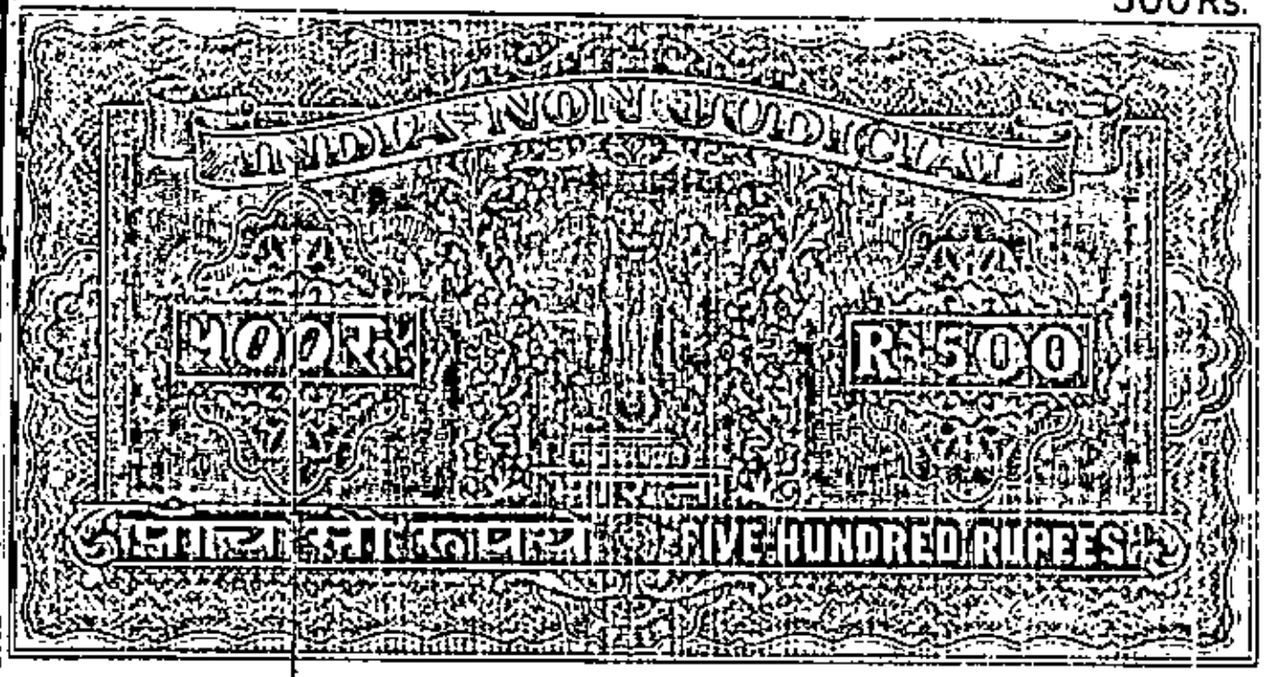

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. R.500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

भूमि को बेचना उचित समझ कर बैनामे की बाबत इधर उधर बातचीत शुरू की, तो गुफ्त-गू बाद पर बिल एवज मुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार पाँच सौ रुपया में महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव ए0के0 जैन पुत्र श्री जे0के0 जैन 73 आर.एस. पुरम काकादेव शहर कानपुर रजि0 नं0 666/82, पर तैयार व रजामंद है, कीमत निहायत मुनासिब व वाजिब है, बाजारी भाव से कम नहीं है। लिहाजा बहालत सेहत जात व सबात अक्ल बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दबाव नाजायज के मय जुमला हक व हकूक दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा बिला छोड़े हुये किसी चीज के बिल एवज मुबलिग 2,79,500/- दो लाख उन्यासी हजार पाँच सौ रुपया, जिसके आधे मुबलिग 1,39,750/- एक लाख उन्तालिस हजार सात सौ पचास रुपया सिक्का हिन्द सरकार यूनियन के होते हैं, बदस्त महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री ए0के0 जैन —

क्रमशः पृष्ठ-4

702

50 Rs.

पचास रुपये

INDIA

FIFTY RUPEES

50 Rs.

पुत्र श्री जे0के0 जैन उपरोक्त के बय कतई कर दिया, यानी बेच डाला तथा कुल कीमत मिनमुकिर ने उक्त खरीदार समिति से निम्न तफसील के अनुसार वसूल पा लिया है। जिसका बर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा। मिन मुकिर विक्रेता ने मिलन अपने आज की तारीख से कब्जा व दखल मालिकाना व कार्रवाई जायदाद मुबैया हाजा पर खरीदार समिति का करा दिया तथा मालिक, काबिज करा दिया, खरीदार समिति आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा की एक मात्र मालिक, काबिज व दखील हो गयी। खरीदार जिस प्रकार से चाहे जायदाद मुबैया हाजा को अपने स्तेमाल व प्रयोग में लावे, खरीदार को चाहिये कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बखाना मिलकियत दर्ज करा लेवे, तथा दर्ज नाम इखराज करा देवे, जिसकी रजामन्दी जरिये दस्तावेज बयनामा हाजा द्वारा समझी जावेगी। फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिर अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी जैसी भी जरूरत होगी पेश कर देगा। यदि जायदाद मुबैया हाजा का कुल या जुज भाग कब्जा व दखल मुकिर के फेल या तकफेल या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से खरीदार से निकल जावे, तो सारी जुम्मेदारी मुकिर व वारिसान मुकिर की होगी, और खरीदार को अधिकार होगा कि वह

Wcalyi

Wcalyi

क्रमशः पृष्ठ-5

अपना कुल जर समन मय हरजा खर्चा के मुकिर को दीगर जात खास जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर को कोई उजर व एतराज न होगा। जुमला शरायत दस्तावेज हाजा की पाबंदी मुकिर व वारिसान मुकिर पर लाजिम व वाजिब होगी।

लिहाजा खूब सोच समझ कर बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब नाजायज के स्वस्थ मन बुद्धि चित्त की दशा में यह चन्द कलमात बतरीक बयनामा कतई तहरीर कर दिया, ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण जायदाद मुबैया

आराजी भूमिधरी नम्बरी 1091 एक सौ इक्यानबे रकबा 2बीघा 10 बिस्वा दो बीघा दस बिस्वा, हिस्सा मुकिर 2/3 दो बटा तीन यानी रकबा 1बीघा 14 बिस्वा स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार, परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर विक्रय किया गया।

तफसील वसूलयाबी जरे समनमुबलिग 2, 79, 500/- दो लाख उन्यासी हजार पाँच सौ रूपया।

मुकिर ने सम्पूर्ण जरे समन मुबलिग 2, 79, 500/- दो लाख उन्यासी हजार कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा नकद वसूल पाये। मुकिर का खरीदार समिति से कुछ भी पाना बाकी नही रहा।

तफसील स्टाम्प अदायगी

कुल विक्रय धनराशि मुबलिग 2, 79, 500/- दो लाख उन्यासी हजार

क्रमशः पृष्ठ-6

911

-6-

पाँच सौ रूपया पर मुबलिग 40,550/- चालीस हजार पाँच सौ पचास रूपया का स्टाम्प अदा किया गया ।

दिनांक तहरीर- 04-05-1996ई0

मुकिर

गवाह नं01 R. C. Tripathi
Late Sri Ratan Kumar Tripathi
R/o 143, Kheyora. Nawab Ganj
Kanpur Nagar

गवाह नं02 Kishor Shandan
S/o Sri Dhani Ram Yadav
R/o Kashiganwa Kanpur Nagar

टाईपकर्ता- अशोक कुमार त्रिपाठी
लाठनं0 46 सिविलकोर्ट,
कानपुर नगर।

आज दिनांक 6.10.09 को बही सं० प्रथम
जिल्द 3812 पृष्ठ 720 पृष्ठ
से 312 पर क्रमांक 9.7 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

उप निबन्धक-I

6/10/09